मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक :F 09/01 /2007/नियम/चार | भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों / परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन / परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

---000---

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 1-1-1996 को एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति के मामलों में पेंशन/परिवार पेंशन की गणना संबंधी आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/7/98/पीडब्ल्यूसी/चार (भाग-1) दिनांक 14 जुलाई, 1998 द्वारा जारी किए गए हैं । दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन समेकन (consolidation) के संबंध में आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/6/98/पीडब्ल्यूसी/चार (भाग-II) दिनांक 14 जुलाई, 1998 द्वारा जारी किए गए हैं ।

2/ ब्रम्हस्वरूप समिति ने पुराने पेंशनरों की पेंशन में हो रही कमी की पूर्ति के लिए, पेंशनरों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% की दर से पेंशन तथा पेंशनर द्वारा सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30% की दर से परिवार पेंशन पुनरीक्षित किए जाने की अनुशंसा की है।

3/ ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों / परिवार पेंशनरों की पेंशन / परिवार पेंशन दिनांक 1-4-2007 (माह अप्रैल, 2007 की पेंशन माह मई, 2007 में देय) से नीचे लिखे निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित की जाय :-

(i) इन निर्देशों में विद्यमान पेंशन का आशय, कम्यूटेड पेंशन का भाग यदि कोई हो, सहित दिनांक 31-3-2007 को देय मूल पेंशन से है । विद्यमान परिवार पेंशन का आशय दिनांक 31-3-2007 को देय मूल परिवार पेंशन से है ।

(ii) दिनांक 31-3-2007 की स्थिति में पेंशनर को देय विद्यमान पेंशन यदि पेंशनर द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम है, तो विद्यमान पेंशन की राशि न्यूनतम पेंशन रूपये 1275/- प्रतिमाह के अधीन, दिनांक 1-1-1996 से प्रभावशील पद के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% के बराबर की जाए । पेंशनर के सेवानिवृत्ति के दिनांक को लागू पेंशन नियमों के अनुसार जहां पेंशनर द्वारा पूरी पेंशन के लिए आवश्यक सेवा से कम सेवा की गई है, ऐसे मामलों में पेंशन में उपयुक्त आनुपातिक कमी की जाए। पेंशन की राशि रूपये 1275/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।

(iii) यदि किसी मामले में परिवार पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय शासकीय सेवक द्वारा धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम है तो, न्यूनतम परिवार पेंशन रूपये 1275/- प्रतिमाह के अधीन, परिवार पेंशन की राशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30% के बराबर की जाए ।

(iv) उपर्युक्तानुसार पेंशन / परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया जाने से यदि किसी प्रकरण में पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन दिनांक 31-3-2007 की स्थिति में देय विद्यमान पेंशन / परिवार पेंशन की राशि से कम होती है तो पेंशनर पूर्वानुसार पेंशन / परिवार पेंशन प्राप्त करता रहेगा । ऐसे मामलों में इन निर्देशों के अन्तर्गत पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

4/ इन निर्देशों के अन्तर्गत पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(i) इन निर्देशों के अनुसार पेंशन / परिवार पेंशन पुनरीक्षित करने के लिए कोषालय अधिकारी पेंशनर के पेंशन भुगतान आदेश संबंधित पेंशन संवितरक बैंक से स्वंय ही प्राप्त करेगें । पेंशन / परिवार पेंशन के निर्धारण के लिए पेंशनर के सेवानिवृत्ति के समय धारित पद, पद के वेतनमान, अर्हताकारी सेवा आदि की जानकारी आवश्यक होती है । पेंशन प्राधिकृत कर्ता अधिकारियों द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन गणना पत्रक संलग्न किए जाते हैं जिनमें यह जानकारी उपलब्ध रहती है । इस जानकारी के आधार पर कोषालय अधिकारियों द्वारा पेंशन / परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाएगी ।

(ii) पुनरीक्षित की गई पेंशन / परिवार पेंशन की प्रविष्टि भी पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक भाग में, इन निर्देशों का संदर्भ अंकित करते हुये, कोषालय अधिकारी अपनी सील / हस्ताक्षर से करेगें ।

(iii) पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन गणना पत्रक उपलब्ध नहीं होने अथवा संबंधित पेंशनर की अर्हतादायी सेवा एवं उसकी सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय धारित पद एवं वेतनमान आदि की प्रमाणित जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में कोषालय अधिकारी द्वारा इसकी लिखित में सूचना संबंधित सेवानिवृत्त /मृत पेंशनर के कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी तथा ऐसे पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पेंशनर / परिवार पेंशनर को दी जाएगी ।

(iv) कोषालय अधिकारी से ऐसी सूचना मिलने पर कार्यालय प्रमुख (जहाँ से संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त / दिवंगत हुआ था) संबंधित कोषालय अधिकारी को पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक जानकारी प्रेषित करेगा । जानकारी प्राप्त होने पर कोषालय अधिकारी द्वारा कंडिका-4 (1) के अनुसार पेंशन / परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाएगी ।

(v) जिन पेंशन भुगतान आदेशों में कार्यालय प्रमुख (जहां से संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त / दिवंगत हुआ था) की जानकारी उपलब्ध न हो ऐसे प्रकरणों में इसकी सूचना कोषालय अधिकारी द्वारा पेंशनर के विभागाध्यक्ष को दी जायेगी जो इन निर्देशों के अनुसार पेंशन / परिवार पेंशन पुनरीक्षित की जाने हेतु आवश्यक जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगें । इस प्रकार के प्रकरणों की जानकारी कोषालय अधिकारी द्वारा संचालक पेंशन मध्यप्रदेश भोपाल को भी दी जाएगी जो इस प्रकार के प्रकरणों में पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें ।

(vi) जिन प्रकरणों में पेंशन भुगतान आदेश महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं उनमें भी पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(vii) संचालक पेंशन उक्त निर्देशों के अंतर्गत पुनरीक्षित की गई पेंशन की अपने स्तर से समय समय पर जांच सुनिश्चित करेगें ।

5/ सार्वजनिक उपक्रमों में संविलियनित शासकीय सेवकों की शासनाधीन की गई सेवा की पेंशन/ परिवार पेंशन का भी पुनरीक्षण किया जाएगा, परन्तु ऐसे संविलियनित कर्मचारी, जिन्होने पेंशन की शत-प्रतिशत राशि के सरांशीकरण का सेवान्त लाभ प्राप्त कर लिया है, के मामलों में पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा ।

6/ इस परिपत्र के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन के मामलों में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2007/नियम/चार दिनांक 10 अप्रैल, 2007 द्वारा जारी निर्देश लागू होगें ।

7/ आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश को इन निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है जो कोषालय स्तर पर पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के कार्य का मानिटरिंग करेगें ।

8/ कोषालय अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों के अन्तर्गत पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमित बोस)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Paripatr//36

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 09/01 /2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

/1